बचितर सिंह एवं एक अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

26 सितम्बर, 2002

(न्यायाधिपतिगण वाई. के. सभरवाल और एच. के. सेमा)

दंड संहिता, 1860; धारा 303: बच्चों सहित 8 व्यक्तियों की हत्या-अभियोजन पक्ष के गवाह की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-परिस्थितिजन्य साक्ष्य की संपुष्टि-शुद्धता-गवाह की सत्यता के परीक्षण का एक तरीका गवाह की सत्यता कथन की सरलता और कथन में एकरूपता है-इसकी सावधानीपूर्वक जांच और परीक्षण तथ्यों पर किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर उचित रूप से विश्वसनीय किया गया है- साक्ष्य अधिनियम, 1872:

अभियोजन पक्ष के गवाह की विश्वसनीयता-अपने रिश्तेदार और आरोपी के बीच विवाद को हल करने के लिए बातचीत के उद्देश्य से मौके पर मौजूद अभियोजन पक्ष का गवाह-वह हथियारों से लैस अभियुक्त से अपनी जान बचाने के लिए अपने पैतृक गांव वापस चला गया-अभिनिर्धारित किया गया कि इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के गवाह

के व्यवहार में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है - इसलिए उसकी गवाही यह स्वाभाविक, भरोसेमंद और पूरी तरह से विश्वसनीय है।

सजाः हत्या-मृत्युदंड-औचित्य-माना जाता है कि अपराध घृणित और क्रूर तरीके से किया गया है, लेकिन इसके प्रतिकूल सबूत के अभाव में कि आरोपी समाज के लिए खतरा हैं, मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है- ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने दो बड़े भाइयों और परिवार के बच्चों सिहत अन्य सदस्यों की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या के बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जाँच के दौरान, पी.डब्ल्यू. 3 (मृतक में से एक के बहनोई) का बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था। इससे पता चला कि एक मृतक (पी.डब्ल्यू. 3 का बहनाेई) ने अपनी जमीन अपने छोटे भाई, अभियुक्त अपीलार्थी को अनुबंध पर दी थी, जो उचित राशि का भुगतान नहीं कर रहा था। अतः उनके बहनोई ने उचित प्रतिफल राशि प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि का अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति को देने का फैसला किया। जब अभियुक्त-अपीलार्थी को इस तथ्य का पता चला, तो उसने उसे (मृतक) खत्म करने की धमकी दी। इसके अलावा पी.डब्ल्यू. 3 और परिवार के सदस्यों ने आरोपी-अपीलार्थी को मनाने की कोशिश की। लेकिन उसने और एक अन्य अभियुक्त (सरपंच) ने

इसका विरोध किया। इस बीच, पी.डब्ल्यू. 3 आगे की बातचीत के लिए और मामले को हल करने के लिए अगले दिन पंचायत की बैठक बुलाने हेतु अपनी बहन के घर गया एवं उसके घर पर रहकर छत पर सोया। आधी रात को उसने अपीलार्थी-अभियुक्त को दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मृतक के कमरे में घुसते हुए देखा एवं फिर गोली चलने की आवाज सुनी। वह अपने पैतृक गांव की ओर भागा और परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया। जब वे मौके पर पहुंचे तो पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी और मामले की जांच कर रही थी।

तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उनकी निशादेही पर बंदूकें और अन्य सामान बरामद किया गया। उनके खिलाफ भा॰द॰सं॰ की धारा 460/302 संपठित धारा 34 भा॰द॰सं॰ व धारा 30 अायुध अधिनियम के तहत आरोप विरचित किए गए।

विचारण न्यायालय ने उन्हें आरोपित अपराधों का दोषी पाया और उन्हें मृत्युदण्ड की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी। अतः उक्त अपीलें की दायर की गई है।

अपीलार्थियों के लिए यह तर्क दिया गया था कि घटना स्थल पर पी.डब्ल्यू. 3 की उपस्थिति स्थापित नहीं हुई थी, उसका व्यवहार अप्राकृतिक था क्योंकि उसने पुलिस को मामले की जानकारी देने के बजाय पैतृक गांव भागना चुना। घटना के दिन ही उसका छत पर सोना भी अस्वाभाविक था। उक्त सभी परिस्थितियां, पी.डब्ल्यू. 3 की साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती है। यह कि मृतक के शरीर पर त्वरित क्रम में गोलियों की चोटे आतंकवादी द्वारा ए.के.-47 राईफल से कारित होना संभाव्य है एवं यह कि पुलिस द्वारा बंदूकों की जब्ती के उपरान्त अभियोजन ने खाली कारतूस लगाए है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

- 1.1. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही पर आधारित थी जिसकी संपुष्टि अन्य सुदृढ व ठोस परिस्थितियों से होती है, जो अपीलार्थियों की ओर ही आरोप लगाने वाली उंगली का इशारा करती हैं। वास्तव में, अधीनस्थ न्यायालयों ने पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच, परीक्षण और स्वीकार किया है। [629-A,B]
- 1.2. पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही काफी स्वाभाविक, भरोसेमंद और पूरी तरह से विश्वसनीय है। वह एक मृतक का रिश्तेदार था, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अपीलार्थियों के खिलाफ झूठा बयान देगा और असली हमलावरों को सजा से बचने की अनुमित देगा। घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन पी.डब्ल्यू. 3 की गांव में उपस्थिति वाकई स्वाभाविक थी क्योंकि उसने अपने बयान में यह स्पष्टतः कथन किया है कि उसके साले व अभियुक्त-

अपीलार्थी के मध्य जमीन का विवाद था। चूंकि इसे अनुनय से हल नहीं किया जा सकता था, इसलिए अगले दिन एक पंचायत बुलाई जानी थी। गाँव वालों में से किसी से भी उसकी मुलाकात नहीं होने के आधार पर उसकी गवाही त्याज्य नहीं है।

[629-F,G]

- 1.3. गवाहों की साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने के लिए कोई कठोर व त्वरित नियम नहीं हैं। गवाह की सच्चाई का परीक्षण करने का एक तरीका कथन की सरलता है। कथन की सरलता स्वाभाविकता एवं सत्य का संकेत है। अक्सर गवाहों द्वारा दिया गया त्रुटिरहित बयान रंगीन संस्करण का उत्पाद होता है। हस्तगत प्रकरण में पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही की सादगी उसकी स्वाभाविकता और सच्चाई को दर्शाती है। यह विवादित नहीं है कि दोनों हथियार अभियुक्तगण के हैं। लेकिन इस गवाह ने धारा 161 के तहत अपने बयान और अदालत में गवाही दोनों में सतत् रूप से कथन किया था कि अभियुक्तगण में से एक हथियारबंद नहीं था जबिक अन्य दो अभियुक्त हथियारों से लैस थे। [629-E,F,G]
- 1.4. पी.डब्ल्यू. 3 का मृतक की छत पर सोना काफी स्वाभाविक है क्योंकि गर्मी के मौसम में लोग छत पर सोते थे। वाकई स्वाभाविक है कि वह आरोपी को हथियारों से लैस देखने और गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद, गाँव में इधर-उधर घूमने और जान जोखिम में डालकर अन्य किसी

को सूचना देने के बजाय छत से कूदकर अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए अपने गाँव की ओर भागता है। यह घटना सुबह 1 बजे हुई थी और उस विषम समय पर, कोई भी बिना समय गंवाए सूचित किए जाने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रक्रिया में, गवाह का जीवन बहुत जोखिम में रहा होगा। [631-,B,C]

1.5 यह पूरी घटना एक कमरे में हुई थी। किसी ने नहीं देखा कि कमरे के अंदर क्या हुआ था। मृतक की हत्या कैसे और किस तरीके और विधि से की गई, यह किसी ने नहीं देखा था। साथ ही अपराध करने में लगने वाला समय भी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक को बंदूक की गोली से चोटें आई हैं। साथ ही, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मृतक को आतंकवादियों की धमकी का अंदेशा हो। अभियोजन पक्ष द्वारा खाली कारतूस लगाने की कहानी जाँच रिपोर्ट से झूठी साबित है।

1.6 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त ने ऐसा कोई गवाह यह दिखाने के लिए परीक्षित नहीं कराया कि वह अपनी भूमि की सिंचाई करने के लिए खेत में गया था। उसने अपनी पत्नी, अपनी माँ (अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार माँ अभी भी जीवित है), और अन्य किसी को अपनी अनुपस्थिति साबित करने हेतु परीक्षित नहीं कराया। जैसा कि

[632-C,D;G]

विचारण न्यायालय ने माना है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि पी.डब्ल्यू. 3 की साक्ष्य के विवरण एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सुदृढ सामग्री के आधार पर अभियुक्त का अपराध संदेह की छाया से परे साबित किया गया है। [634-B,C]

2. यद्यपि अपराध क्रूर व जघन्य तरीके से किया गया है किन्त् एेसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता समाज के लिए एक खतरा हो जो समाज के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व को खतरे में डालते हो और उनके कारावास से बाहर आने के बाद समाज के लिए निरन्तर खतरा बने रहने की संभावना हो। अतः तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह मानना मुश्किल होगा कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों की श्रेणी में आता है। साथ ही, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उनमें सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों को यह पश्चाताप करने का मौका दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जो किया है वह न तो कानून द्वारा एवं न ही समाज द्वारा अनुमोदित है और उनमें सुधार या प्नर्वास किया जाना चाहिए और वे अच्छे और कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सकते हैं। अतः अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी और यह विचारण न्यायालय द्वारा दी गई एवं उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए मृत्युदण्ड के स्थान पर दी जाती है। [634-G, H; 635-A,B,C]

प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 2 एस.सी.सी. 35 और राम अनूप सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, जे.टी. (2002) 5 621, पर निर्भर था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 1229/2001

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के डी.बी. 515/2000 हत्या संदर्भ सं॰ 6/2000 के साथ आपराधिक अपील संख्या 1228/2001 के निर्णय और आदेश दिनांक 24-07-2001 से

अपीलार्थियों की ओर से आर.एस. चीमा, एच.एल. अग्रवाल और के.बी. सिन्हा, कंवलजीत कोचर, के.एस. नलवा, एस.सी. पाॅल, सुश्री कुसुम चौधरी।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अनूप जी. चौधरी, बिमल रॉय जाड, सुनीता पंडित, बी. के. खुराना, सुश्री हरप्रीत कौर ढिल्लों, ए. पी. मोहंती, दिनेश वर्मा और सुश्री सुरेश कुमारी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति श्री सेमा, वीभत्स दिया गया था। हत्या की एक विचित्र कहानी जिसमें दो परिवारों के आठ सदस्य सुखवंत सिंह, पत्नी प्यार कौर, बेटियां गुरजित कौर (12 वर्ष) और गोगी (9 वर्ष) और भूपिंदर सिंह, पत्नी जोगिंदर कौर, बेटे हरजिंदर सिंह (6 वर्ष) और भूपिंदर सिंह (13 वर्ष) को अपीलकर्ताओं ने मृतक सुखवंत सिंह की जमीन हड़पने के लालच के कारण समाप्त कर दिया। हत्या की साजिश आरोपी बचितर सिंह ने रची थी, जो मृतक का छोटा भाई था। शेक्सपियर के नाटक में 'पाहोम' की कहानी, "एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए ?" को इस कार्यवाही में दोहराया जा रहा है। अंततः, आवश्यक भूमि 'अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए जगह' है।

संक्षिप्त तथ्यों का पुनर्कथन आवश्यक है। अभियुक्त बचितर सिंह के दो बडे भाई मृतक सुखवंत सिंह और भूपिंदर सिंह थे। तीनों भाई धोलेवाला गाँव के निवासी थे। सुखवंत सिंह और भूपिंदर सिंह हवेली में रह रहे थे, जबिक आरोपी बचितर सिंह गाँव में अलग रह रहा था। दिनांक 19-04-1999 को सुबह लगभग साढ़े छह बजे, बचितर सिंह द्वारा दैनिक डायरी रिपोर्ट संख्या 35 दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया था कि रात के समय वह अपनी जमीन की सिंचाई करने गया था और जब वह स्बह लगभग तीन बजे वापस आया, तो उसे अपनी पत्नी-राजबीर कौर से जानकारी मिली कि रात के समय, उन्होंने गाँव में गोलीबारी की आवाज स्नी थी। लेकिन बचितर सिंह ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह करीब 6 बजे उसके चचेरे भाई पीपल सिंह पुत्र बलकार सिंह उनके आवास पर आए और उसे बताया कि लगभग 1 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों ने सुखवंत सिंह, भूपिन्दर सिंह और उनके परिवार की हत्या कर दी थी। इसके बाद बचितर सिंह पीपलसिंह के

साथ अपने भाइयों के घर गया और पाया कि उसके भाई सुखवंत सिंह और भूपिंदर सिंह की उनकी पित्रयों और बच्चों के साथ हत्या कर दी गई है। पीपल सिंह को शवों की रखवाली के लिए वहाँ छोड़ दिया गया था और बच्चितर सिंह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया और उसके बयान के अनुसार दैनिक डायरी की रिपोर्ट सुबह 6:30 बजे दर्ज की गई थी।

अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, जब पुलिस मौके पर जांच कर रही थी तो गांव मस्तेवाला निवासी अजैब सिंह का बेटा जोगिंदर सिंह (पी.डब्ल्यू. 3) वहां आया और पुलिस ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत उसका बयान दर्ज किया। जोगिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा कि उनकी बहन प्यार कौर की शादी लगभग 15 साल पहले सुखवंत सिंह से हुई थी। सुखवंत सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वह अत्यधिक शराब पीता था। चूंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उसने ठेके पर अपनी जमीन अपने छोटे भाई-बचितर सिंह को दे दी थी, लेकिन बचितर सिंह उचित ठेका नहीं दे रहा था। चूंकि सुखवंत सिंह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था तो सुखवंत सिंह और प्यार कौर ने पी.डब्ल्यू. 3 और परिवार के अन्य सदस्यों से परामर्श किया और तय किया कि इस बार जमीन बचितर सिंह को ठेके पर नहीं देंगे। जब बचितर सिंह को यह बात पता लगी तो उसने

अपने दोनों भाइयों और उनके परिवारों को खत्म करने की धमकी दी और वह जमीन खाली करने से इनकार कर दिया। यह अग्रलिखित है कि पिछले गुरुवार को (घटना से पहले) उनकी बहन-प्यार कौर ने गाँव मस्तवाला का दौरा किया और खुलासा किया कि ज़मीन बचितर सिंह को नहीं दी जानी थी। जोगिंदर सिंह अपने पिता और कुछ लोगों के साथ प्यार कौर को लेकर जमीन खाली करने के लिए बचितर सिंह से बात करने के लिए गांव धोलेवाला गए। ऐसा अभिकथित है कि बचितर सिंह, मलूक सिंह-सरपंच के साथ सुखवंत सिंह के घर आया और बचितर सिंह से जमीन खाली करने का अनुरोध किया गया क्योंकि सुखवंत सिंह के नाबालिग बच्चे थे। चूंकि बचितर सिंह उचित ठेका नहीं दे रहा था, इसलिए वे बोने के लिए जमीन भूपिंदर सिंह को देना चाहते थे। बचितर सिंह इस बात के लिए राजी नहीं ह्आ और उसने जवाब दिया कि वह जमीन को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेगा। मलूक सिंह सरपंच ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि जमीन बचितर सिंह के पास ही रहनी चाहिए और उन्हें उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। भूपिंदर सिंह ने बचितर सिंह से जमीन खाली करने का भी अनुरोध किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद जोगिंदर सिंह, उनके पिता और अन्य सदस्य इस मामले में आगे के परामर्श के विचार के साथ गाँव मस्तेवाला वापस आ गए। दिनांक 18-04-1994 को सुखवंत सिंह के घर परिवार के हाल पूछने और एक पंचायत

बुलाने के लिए जोगिंदर सिंह आया। भोजन के बाद, जोगिंदर सिंह छत पर सो रहा था, जब लगभग 1 बजे उन्होंने देवड़ी के किनारे से गोलीबारी की आवाज सुनी। फिर, उसने बचितर सिंह को खाली हाथ, मलूक सिंह के पास 12 बोर बंदूक और राइफल से लैस अमरजीत सिंह उर्फ फौजी को देखा। मलूक सिंह और अमरजीत सिंह के चेहरे ढके हुए थे। उसने उन्हें बिजली की रोशनी में देखा, जो आंगन में जल रही थी। बचितर सिंह के कहने पर अमरजीत सिंह उर्फ फौजी उसके साथ भूपिंदर सिंह के कमरे की ओर गया और दरवाजा खोल दिया। इस बीच, मलूक सिंह सरपंच सुखवंत सिंह के कमरे की ओर गया था जहाँ परिवार के सदस्य सो रहे थे। कमरा अंदर से बंद था। मलूक सिंह दरवाजे का बायां तख्ता हटाकर कमरे के अंदर जाने में कामयाब हो गया था। इस समय जोगिंदर सिंह ने भूपिंदर सिंह और सुखवंत सिंह के कमरों से गोलीबारी की आवाज सुनी। वह खाली हाथ था। वह डर के मारे हवेली के पश्चिम की ओर से सुखवंत सिंह के घर की छत से घास पर कूदकर नीचे आ गया। जोगिंदर सिंह फिर सीधे अपने गाँव-मस्तेवाला आया और अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद जोगिंदर सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव धोलेवाला वापस आ गया और मौके पर पुलिस को पाया। एएसआई सुरिंदर मोहन ने मृत्यु की जांच रिपोर्ट सुबह 6:30 बजे तैयार की और कपड़े का

एक टुकड़ा, थाठा, पगड़ी, खाली कारतुस आदि गवाहों द्वारा सत्यापित फर्द बरामदिगयों के माध्यम से अपने कब्जे में लिए।

अभियुक्त बचितर सिंह, अमरजीत सिंह और मलूक सिंह को दिनांक 24-04-1994 को गिरफ्तार किया गया और एक काला थथा कब्जे में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई और उन्होने अलग-अलग प्रकटीकरण कथन किए। बचितर सिंह के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में काली पगड़ी और एक डी.बी.बी.एल. बंदूक बरामद की गई। अमरजीत सिंह के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में दांहिना जूता बरामद किया गया था। मलूक सिंह के खुलासा बयान के अनुसरण में एक कमीज (शर्ट), पायजामा और एक जोड़ी जूते बरामद किए गए। बरामद वस्तुओं को गवाहों द्वारा सत्यापित विभिन्न बरामदगी ज्ञापनों के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया और धारा 460/302 संपठित धारा 34 भा॰द॰सं॰ व आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और अन्वीक्षा चाही। अभिय्क्तगण के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों को परीक्षित कराया, जिनमें डॉ. चरणजीत सिंह पी.डब्ल्यू. 1; डॉ. रछपाल सिंह पी.डब्ल्यू. २; जोगिंदर सिंह पी.डब्ल्यू. ३; डॉ. ज्ञान सिंह पी.डब्ल्यू. 4; प्यारा सिंह पी.डब्ल्यू. 5; एएसआई गुरभेज सिंह पी.डब्ल्यू. 6; एचसी

गुरिदयाल सिंह पी.डब्ल्यू. 7; अजैब सिंह पी.डब्ल्यू. 8; गुरिबंदर सिंह पटवारी पी.डब्ल्यू. 9; एसआई सुरिंदर पाल पी.डब्ल्यू. 10; एएस कटारी, जेएमआईसी पी.डब्ल्यू. 11; कांस्टेबल करनेल सिंह पी.डब्ल्यू. 12; कांस्टेबल किशन चंद पी.डब्ल्यू. 13; एचसी करमजीत सिंह पी.डब्ल्यू. 14; एसआई बलदेव सिंह पी.डब्ल्यू. 15; सुरिंदर सिंह एस.पी. पी.डब्ल्यू. 16; गुरसेवक सिंह ड्राफ्ट्समैन पी.डब्ल्यू. 17; एमएचसी सुरिंदर सिंह पी.डब्ल्यू. 18; प्रदीप कुमार अहलमद पी.डब्ल्यू. 19; जगतर सिंह पी.डब्ल्यू. 20; तारसेम सिंह, आर्म्स क्लर्क पी.डब्ल्यू. 21; एएसआई सुरिंदर मोहन पी.डब्ल्यू. 22; इंस्पेक्टर बलकार सिंह पी.डब्ल्यू. 23; और जगजीत सिंह, सब स्टेशन ऑपरेटर, पी.एस.ई.बी.पी. पी.डब्ल्यू. 24; शामिल है।

विद्वान विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज के पूर्ण परीक्षण के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियुक्त का अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह की छाया से परे स्थापित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को दण्ड की मात्रा के संबंध में सुनवाई हेतु एक अवसर प्रदान किया। मृत्युदंड अधिरोपित करते समय निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

"यह स्वीकृत है कि सभी आरोपी दिनांक 24-04-1994 से हिरासत में है। आरोपी बचितर सिंह सुखवंत सिंह का असली भाई है और भूपिंदर सिंह की मृत्यु हो गई। सुखवंत सिंह अपनी पत्नी के साथ और लगभग 12 वर्ष और 9 वर्ष की आयु के दो नाबालिग बच्चों सहित समाप्त कर दिया गया था। भूपिंदर सिंह अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों लगभग 6 वर्ष और 13 वर्ष के साथ भी समाप्त कर दिए गए। सुखवंत की भूमि का ठेका बचितर सिंह के पास था, जो अपने भाई की आर्थिक स्थिति सहीं नहीं होने पर भी उसे उचित ठेका नहीं दे रहा था। अपने भाई की मदद करने के बजाय बचितर सिंह जमीन खाली करने के लिए सहमत नहीं था। संपत्ति हडपने के लिए बचितर सिंह ने दो व्यक्तियों को काम पर रखा और दो परिवारों को समाप्त कर दिया। अभियुक्त के मन में मानव जीवन का सम्मान नहीं था। केवल अपने भाई की जमीन हडपने के लिए नाबालिग बच्चों को नहीं बख्शा गया। अतः मेरा मानना है कि नरमी का कोई सवाल ही नहीं है। प्रथम दृष्टान्त में चार लोग मारे गए थे। अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। द्वितीय दृष्टान्त में पीड़ित अभियुक्त की साली और उसकी 8 साल की बेटी थी। इस मामले में कहानी के अनुसार रात के समय सभी आरोपी, मृतक के घर गए थे और आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी यानी दो पूरे

परिवार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों में से एक है।"

दण्ड की मात्रा पर पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण पर निम्नानुसार मृत्युदण्ड अधिरोपित किया:

अभियुक्त का नाम अपराध अंतर्गत धारा अधिरोपित दण्ड

बचितर सिंह, मलूक सिंह 460 भा॰द॰सं॰ प्रत्येक को 07 वर्षों का सश्रम कारावास और अमरजीत सिंह एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड अदम अदायगी अथर्दण्ड प्रत्येक को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

मलूक सिंह 302 भा॰द॰सं॰ सुखवंत सिंह, प्यार कौर, गुरजीत कौर और गोगी की हत्या के लिए मृत्युदंड अधिरोपित

बचितर सिंह और 302/34 भा॰द॰सं॰ प्रत्येक पर मृत्युदंड अधिरोपित अमरजीत सिंह

अमरजीत सिंह 302 भा॰द॰सं॰ भूपेन्द्र सिंह, हरजिन्दर सिंह, देविन्दर और जोगिन्दर कौर की हत्या के लिए मृत्युदण्ड अधिरोपित बचितर सिंह और 302/34 भा॰द॰सं॰ प्रत्येक पर मृत्युदंड अधिरोपित मलूक सिंह बचितर सिंह 30 आयुध अधिनियम 06 माह का सश्रम कारावास अपील करने पर समस्त अभियुक्तगण की दोषसिद्धि व अधिरोपित

दण्ड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई, अतः यह अपील विशेष अनुमति से दायर की गई है।

पी.डब्ल्यू. 3 जोगिंदर सिंह एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्टतः पिरलिक्षित है कि दोनों अदालतों ने इस गवाह की सच्चाई की जांच की और उसकी गवाही को प्राकृतिक, सच्चा और विश्वसनीय मानकर स्वीकार किया। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही पर आधारित थी जिसकी पृष्टि अन्य सुदृढ एवं निर्णायक परिस्थितियों द्वारा की गई जो अभियुक्तगण की अपराध में संलिसता की ओर इशारा करती है। वस्तुतः पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच, परीक्षण और स्वीकार किया गया है।

हमने अपीलार्थियों की ओर से क्रिमीनल अपील नंबर 1229/2001 में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एस. चीमा, 1228/2001 में अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.बी. सिन्हा एवं राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप जी. चौधरी को सुना।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही की सच्चाई को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पी.डब्ल्यू. 3 का धोलेवाले गांव में आना स्थापित नहीं है क्योंकि किसी ने

उसे गाँव में नहीं देखा था, जिसमें उसकी चाची भी शामिल थी, जिसकी शादी भी उसी गाँव में हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जोगिंदर सिंह का व्यवहार काफी अप्राकृतिक है क्योंकि घटना को देखने के बाद, पुलिस या अपने रिश्तेदार सहित किसी ग्रामीण को सूचित करने के बजाय, वह सीधे अपने गांव मस्तवाला गया और केवल अगली सुबह वापस आया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जोगिंदर सिंह का यह बयान कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को सुखवंत सिंह की छत पर सोया था, काफी अप्राकृतिक है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय है। हम अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही काफी स्वाभाविक, भरोसेमंद और पूरी तरह से विश्वसनीय है। अपनी बहन प्यार कौर के पति सुखवंत सिंह का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह झूठ बोले एवं अपीलार्थियों के खिलाफ गवाही दें और वास्तविक हमलावरों को दंडित ह्ए बिना जाने दें। इसके विपरीत स्थिति काफी अप्राकृतिक होगी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन गाँव धोलेवाला में पी.डब्ल्यू. 3 की उपस्थिति बह्त स्वाभाविक है क्योंकि उसके बयान में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि सुखवंत सिंह की भूमि बचितर सिंह को ठेके पर दिए जाने पर विवाद था। चूंकि इसे अनुनय द्वारा हल नहीं किया जा सकता था,

इसलिए अगले दिन एक पंचायत बुलाई जानी थी और यह बचितर सिंह काे ज्ञात था। गाँव वालों में से किसी के साथ उनकी मुलाकात नहीं होना, पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। उसके बयान में कहा गया है कि वह शाम करीब 7:30 बजे धोलावाले गांव पहुंचा और भोजन करके सुखवंत सिंह के मकान की छत पर विश्राम करने चला गया। घटना दिनांक 19 अप्रैल 1994 को हुई और उस समय घटनास्थल काफी गर्म रहा होगा। सामान्यतया भारतीय गांवों में गर्म मौसम के दौरान अधिकतर लोग छत पर ही सोते हैं, जिस कारण पी.डब्ल्यू. 3 का सुखवंत सिंह के मकान की छत पर सोना वाकई स्वाभाविक है। इस गवाह ने आगे कथन किया कि वह निहत्था था और हथियारों से सज्जित अभियुक्तगण को देखकर एवं गोली चलने की आवाज सुनकर वह डर गया एवं अपने गाँव जाकर अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित करने हेत् भाग गया। यह भी बह्त स्वाभाविक है। आरोपी को हथियारों से लैस देखकर उसे अचानक एहसास ह्आ होगा कि अगर वह गांव में कही आेर घूमता है और वह भी सुबह 1 बजे, तो उसकी जान को खतरा होगा। इसलिए, उसने सोचा होगा कि आरोपी के चंगुल से खुद को बचाने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर गाँव में किसी को भी सूचित करने के बजाय उसे अपने पिता व परिवार को सूचित करना चाहिए। उसके बयान से यह परिलक्षित है कि गवाह ने कई अवसरों पर विवाद के निराकरण हेत् हस्तक्षेप किया था,

जिस पर बचितर सिंह ने आपित जताई और कहा कि वह किसी भी कीमत पर खेत पर बने रहेंगे। बचितर सिंह के चिरत्र और अतीत को समझने के बाद, यह बहुत स्वाभाविक है कि दुर्जेय हथियारों के साथ आरोपी को देखने के बाद, उसने अपनी जान जोखिम में नहीं डालने का फैसला किया और अपने गांव भाग गया। इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 3 के व्यवहार में हम कुछ भी अप्राकृतिक नहीं देखते हैं।

गवाहों की सच्चाई का परीक्षण करने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं है। गवाह की सच्चाई का परीक्षण करने का एक तरीका कथन की सरलता है। कथन की सरलता स्वाभाविकता और सत्य का संकेत है। अक्सर गवाहों द्वारा दिया गया त्र्टिरहित बयान रंगीन संस्करण का उत्पाद होता है। हस्तगत प्रकरण में, पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही की सादगी उसकी स्वाभाविकता और सच्चाई को दर्शाती है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, बचितर सिंह झगडे का मुख्य पात्र था क्योंकि बचितर सिंह और सुखवंत सिंह के बीच जमीन के ठेके को लेकर विवाद था। अगर गवाह रंगीन संस्करण पेश करना चाहता, तो वह कह सकता था कि बचितर सिंह हथियारों से लैस था। यह विवादित नहीं है कि दोनों आक्रामक हथियार, अर्थात् 12 बोर बंदूक और 303 बोर राइफल बचितर सिंह की है। लेकिन इस गवाह ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत अपने बयान और अदालत में गवाही दोनों में सतत रूप से कहा था कि बचितर सिंह के पास

हिथियार नहीं थे जबिक मलूक सिंह के पास 12 बोर बंदूक व डी.बी.बी.एल. बंदूक थी और अमरजीत सिंह के 303 राइफल थी। यह तथ्य पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही की स्वाभाविकता और सच्चाई की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते है। आम तौर पर, हितबद्ध गवाह अभियुक्तगण के दोषसिद्धि को दोगुना सुनिश्चित करने के लिए रंगीन संस्करण एवं बढा-चढाकर बयान देते है। किन्तु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

मनुष्य का व्यवहार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। अलग-अलग लोग अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग व्यवहार एवं प्रतिक्रिया करते हैं। मानव व्यवहार प्रत्येक मामले के तथ्यों और पिरिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, इसकी भविष्यवाणी कभी नहीं की जा सकती है। इन पिरिस्थितियों में, सुखवंत सिंह के घर की छत पर सो रहे जोगिंदर सिंह पी.डब्ल्यू. 3 का व्यवहार: आरोपी को हथियारों से लैस देखकर और गोलीबारी की आवाज सुनकर, छत से कूदकर अपने गांव मस्तेवाला की ओर भागना, गाँव धोलेवाला में इधर-उधर घूमने के बजाय अपने पिता और पिरवार के सदस्यों को सूचित करना और अपनी जान जोखिम में डालते हुए किसी अल्य को सूचित नहीं करना, काफी स्वाभाविक है। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह घटना सुबह 1 बजे हुई थी और उस विषम समय

पर, कोई भी बिना समय गंवाए सूचित करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रक्रिया में, गवाह का जीवन बहुत जोखिम में रहता।

अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अमरजीत सिंह बचितर सिंह की मदद कर रहा था। लेकिन पी.डब्ल्यू. 3 को अमरजीत सिंह के खिलाफ झूठा बयान क्यों देना चाहिए? जिसके साथ उसकी या उसके बहनाेई मृतक सुखवंत सिंह का कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। आरोपी अमरजीत सिंह एक सैन्यकर्मी था और राइफल के संचालन को जानता था, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह एक भाड़े का हत्यारा था। इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जोगिंदर सिंह, पी.डब्ल्यू. 3 की गवाही काफी स्वाभाविक और भरोसेमंद है। हमारे पास इस संबंध में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

डॉ. चरणजीत सिंह, पी.डब्ल्यू. 1 ने मृतक सुखवंत सिंह और उनके परिवार का पोस्टमॉर्टम किया। डॉ. रचपाल सिंह, पी.डब्ल्यू. 2 ने मृतक सुखवंत सिंह और उनके परिवार का पोस्टमॉर्टम किया। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में मृतक को लगी निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया, जैसा कि दोनों डॉक्टरों द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पाया गया है:

"पी.डब्ल्यू. 1 डॉ. चरणजीत सिंह, जिन्होंने सुखवंत सिंह की बेटी ग्रजित कौर के शवों का पोस्टमार्टम किया था, और उस पर बंदुक की चार गोलियों के घाव पाए थे (दो प्रवेश और दो निकास)। बंद्रक की दो गोलियों से घायल सुखवंत सिंह की दूसरी बेटी गोगी, बंदूक की तीन गोलियों से घायल उसकी पत्नी (दो प्रवेश और एक निकास) और बंद्रक की दो गोलियों से घायल खुद सुखवंत सिंह (एक प्रवेश और दूसरा निकास); पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. रचपाल सिंह, जिन्होंने भूपिंदर सिंह के शवों का पोस्टमार्टम किया था और बंद्क की दो गोलियों की चोटों का निरीक्षण किया था। चोटें (एक प्रवेश और दूसरा मौजूद), उनका बेटा, हरजिंदर सिंह, बंदूक की दो गोली की चोटों के साथ (एक प्रवेश और दूसरा निकास); अन्य बेटा, देविंदर सिंह, बंदूक की दो गोलियों से घायल (एक प्रवेश और दूसरा निकास); और उसकी पत्नी, जोगिंदर कौर, बंदुक की तीन गोलियों से घायल (दो प्रवेश और एक निकास)।"

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से आग्रह किया कि पी.डब्ल्यू. 1 डाॅ. चरणजीत सिंह और पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. रछपाल सिंह, की साक्ष्य से स्पष्ट है कि .303 बोल्ट एक्शन राइफल से इस तरह की चोटें जल्दी-जल्दी कारित नहीं हो सकती थीं। क्योंकि इसे हर शॉट को चलाने के बाद जानबूझकर बोल्ट एक्शन की आवश्यकता होती है। अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि संभवतः यह ए.के. 47 सीरियल जैसी उच्च गति वाली राइफल का उपयोग करने वाले कुछ आतंकवादियों का काम है। यह निवेदन सुदृढ तथ्यों से समर्थित नहीं है। यह किसी पक्ष का मामला नहीं है कि अपराध एक निश्चित समय सीमा में किया गया था। जैसा कि अभिलेख पर गवाहों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पूरी घटना कमरे के अंदर हुई थी। किसी ने नहीं देखा था कि कमरे के अंदर क्या हुआ था। मृतक की हत्या कैसे और किस तरीके और विधि से की गई, यह किसी ने नहीं देखा था, साथ ही अपराध करने में लगने वाला समय भी नहीं देखा था। लेकिन पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक को बंद्रक की गोली से चोटें आई हैं। साथ ही, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतक को आतंकवादियों से खतरा था। दूसरी ओर बचितर सिंह को आतंकवादियों से खतरे की धारणा के कारण .303 केलिबर बोल्ट एक्शन राइफल संख्या 709467 उसकी व्यक्तिगत स्रक्षा के लिए दी गई थी। यह बात पी.डब्ल्यू. 23 बलकार सिंह ने साबित की है। यह भी विवादित नहीं है कि .12 डी.बी.बी.एल. बंदूक नंबर 15354-88 आरोपी बचितर सिंह की थी।

अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा साबित है कि अभियोजन पक्ष ने .303 राइफल और .12 डी.बी.बी.एल. बोर बंदूक के खाली कारतूस प्रश्नगत बंदूकों की पुलिस द्वारा जब्ती के उपरांत झूठे रूप में लगाए हैं। पी.डब्ल्यू. 22 एएसआई सुरिंदर मोहन (पूर्व पी. जे.) द्वारा तैयार की गई मृत्यु जाँच रिपोर्ट से यह तथ्य नासाबित है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि रिपोर्ट दिनांक 19-04-1999 को सुबह 6:30 बजे तैयार की गई थी। रिपोर्ट के खंड 23 में यह स्पष्ट है कि शव के पास 3x3 बोर की बंदूक के दो खाली कारतूस पाए गए थे। प्रदर्श पी.एन./5 (जांच रिपोर्ट) के अनुसार शव के पास 3x3 पक्की बंदूक के चार खाली कारतूस पाए गए। अतः अभियोजन द्वारा खाली कारतूस लगाने की कहानी नासाबित है।

पी.डब्ल्यू. 3 जोगिंदर सिंह की चश्मदीद साक्ष्य की संपुष्टि बरामदगी और जब्ती ज्ञापनों द्वारा साबित तात्विक विशिष्टियों से हुई है। यह अभियोजन पक्ष का सब्त है कि दिनांक 19-04-1994 को काले रंग का एक थाठा बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पीएमएम के माध्यम से घटनास्थल से बरामद किया गया था। बचितर सिंह की गिरफ्तारी के उपरान्त उसके प्रकटीकरण निवेदन के आधार पर काले रंग की पगड़ी बरामद की गई। पगड़ी की दोनों तरफ के हिस्से कटे हुए पाए गए। बरामद पगड़ी को मेमो एक्स पी.ए.ए.ए./1 के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया और उसका प्रकटीकरण विवरण एक्स पी.ए.ए.ए. /10 है। आरोपी-अमरजीत सिंह को भी दिनांक 24-04-1994 को गिरफ्तार किया गया था और उसकी

व्यक्तिगत तलाशी पर काले रंग का एक थाठा बरामद किया गया था। घटनास्थल से बरामद काली रंग की पगड़ी को प्रयोगशाला में भेजा गया और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का रिपोर्ट प्रदर्श पी.एन.एन.एन. के अनुसार, दोनों में से एक को मौके से और दूसरे को आरोपी अमरजीत सिंह की व्यक्तिगत तलाशी से बरामद किया गया है, जो बचितर सिंह के खुलासा बयान के अनुसरण में बरामद पगड़ी के कपड़े के समान थी। .12 बोर बंद्क का खाली कारतूस एएसआई सुरिंदर मोहन द्वारा दिनांक 19-04-1994 को 6:30 एएम पर मौके से बरामद किया गया था। बचितर सिंह के खुलासा बयान के अनुसरण में तीन खाली, तीन जिंदा कारतुस और एक डी.बी.बी.एल. बंदूक संख्या 15354 बरामद की गई। बरामद बंदूक और रिक्तियों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ भेजा गया। रिपोर्ट एक्स पी.वी.वी.वी के अनुसार जब्त डी.बी.बी.एल. बंदूक के दांहिने बैरल से दो कारतूस दागे हुए पाए गए। बाकी दो कारतूस भी बांए बैरल से दागे हुए पाए गए। यह विवादित नहीं है कि बचितर सिंह लाइसेन्सी बंद्क का स्वामी है। बंद्क की अनुज्ञिस भी बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पीएफएफ के माध्यम से बरामद की गयी है। दिनांक 19-04-1994 को बरामद .303 बोर रायफल के 6 खाली कारतूस भी रायफल नंबर 709467 के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ भेजे गए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पीआरआर के अनुसार खाली कारतूस .303 बोर रायफल नंबर 709467 से दागे हुए पाए गए। जैसा कि पी.डब्ल्यू. 23 इंस्पेक्टर बलकार सिंह की साक्ष्य से पूर्व विदित है कि यह रायफल अभियुक्त बचितर सिंह को आतंकवादियों से जान की धमकी के कारण निजी सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई थी। यही रायफल अभियुक्त अमरजीत सिंह द्वारा उपयोग में ली गई थी।

दिनांक 19-04-1994 को 6:30 एएम पर घटनास्थल से एक जूती बरामद की गई थी। अमरजीत सिंह के प्रकटीकरण निवेदन के अनुसरण में दूसरी जूती भी बरामद की गई थी। उक्त दोनों जूतियां वास्ते परीक्षण प्रेषित किए जाने पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पीक्यूक्यूक्यू के अनुसार दोनों जूतियां परस्पर मेल खाती हुई पाई गई।

मनुष्य प्रस्ताव देता है, भगवान निराकरण करते है", ठीक यही यहाँ हुआ है। अभियुक्तगण ने सोचा कि वे गुप्त रूप से अपराध कर रहे थे जबिक उन्हें अंदाजा ही नहीं था था कि वे स्वयं के विरूद्ध ही निर्णायक सबूत छोडकर जा रहे है।

पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त बचितर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह रात में अपने खेत की सिंचाई करने गया था और सुबह 3 बजे वापस आया जब उसे अपनी पत्नी से सूचना मिली कि गांव में गोलियां चल रही हैं। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने यह भी कहा कि उसके चचेरे भाई पीपल सिंह, जो उसी हवेली

में रह रहे थे, सुबह 6 बजे आए थे और उन्हें सूचित किया था कि लगभग 1 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों ने सुखवंत सिंह और भूपिंदर सिंह के परिवारों की हत्या कर दी थी। महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त बचितर सिंह ने किसी भी गवाह को यह तथ्य साबित करने हेतु परीक्षित नहीं कराया कि वह खेत में सिंचाई करने गया था व रात को 3 बजे वापस आया। उसने अपनी पत्नी, मां (जो अभियोजन कहानी के अनुसार जीवित है) या अन्य किसी को स्वयं की अनुपस्थिति साबित करने हेतु परीक्षित नहीं कराया।

जोगिंदर सिंह के प्रत्यक्षदर्शी वृतांत पर विश्वास करते हुए, रिकॉर्ड पर अन्य दुर्जेय सामग्रियों के साथ, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारा स्पष्ट मत है कि अभियुक्त का अपराध संदेह की छाया से परे स्थापित किया गया है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

यह निष्कर्ष हमें विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित एवं उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट मृत्युदण्ड के विचारण की आेर अग्रसर करता है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम" की श्रेणी में नहीं आता है जो मृत्युदंड को आमंत्रित करेगा। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि प्रश्लगत एकमात्र घटना के अलावा, अभिलेख पर कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, जो अतीत में अपीलार्थियों के गलत

आचरण के बारे में संकेत करें। अभिलेख पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे कि अपीलार्थी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा और खतरा होंगे। एक मामले में, जो वर्तमान प्रकरण के समान प्रतीत होता है, प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2002] 2 एस.सी.सी. 35 अभियुक्त ने भूमि विवाद के कारण अपने ही भाई, भाई की पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी। इस अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध जघन्य और क्रूर था, लेकिन साथ ही यह मानना मुश्किल होगा कि यह दूर्लभतम से दुर्लभतम मामला है। न्यायालय का यह भी विचार था कि यह अभिनिर्धारित करना कठिन होगा कि अपीलार्थी समाज के लिए एक खतरा है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसका सुधार या पुनर्वास नहीं हो सकता और यह कि उसके द्वारा हिंसक आपराधिक कृत्यों को जारी रखने की संभावना है। इसी सिद्धान्त का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा राम अनूप सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य, JT(2002) S 621 में किया गया। यद्यपि अपराध क्रूर व जघन्य तरीके से किया गया है किन्तु हस्तगत प्रकरण में एेसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता समाज के लिए एक खतरा हो जो समाज के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व को खतरे में डालते हो और उनके कारावास से बाहर आने के बाद समाज के लिए निरन्तर खतरा बने रहने की संभावना हो। अतः तथ्यों और

परिस्थितियों को देखते हुए, यह मानना मुश्किल होगा कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों की श्रेणी में आता है। साथ ही, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उनमें सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से देखने पर हमारा यह मत है कि अपीलार्थियों को यह पश्चाताप करने का मौका दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जो किया है वह न तो कानून द्वारा एवं न ही समाज द्वारा अनुमोदित है और उनमें सुधार या पुनर्वास किया जाना चाहिए और वे अच्छे और कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सकते हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों के उपरोक्त विवेचन के अनुसार हमारा यह विचार है कि अभियुक्तगण को आजीवन कठोर कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

अतः विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट मृत्युदण्ड की सजा हम अपास्त करते हैं एवं इसके स्थान पर आजीवन सश्रम कारावास का दण्ड अधिरोपित करते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि बरकरार की जाती है किन्तु अपीलार्थियों पर अधिरोपित मृत्युदण्ड अपास्त किया जाता है। इसके बजाय, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

सजा में इस संशोधन के साथ, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

एस के एस

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नागेन्द्र सिंह (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |